

14

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**(मंत्रालय)**

क्रमांक: एल-9-3/2005/ब-7/चार,  
प्रति,

भोपाल दिनांक 26 दिसम्बर, 2005

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश

**विषय:- वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण।**

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एल-1/5/2003/ब-7/चार दिनांक 6 अगस्त, 2004 (जिसमें वर्ष 2004-2005 के लिए ब्याज दरें लागू की गई थी) के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005-2006 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाती है। यह दरें 1 अप्रैल 2005 से प्रभावशील रहेगी।

अनु.	श्रेणी	ब्याज दर
1	कृषक ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंतर्गत ऋण, वन तकावी व अन्य तकावी सहित 1. चार वर्ष व इससे कम अवधि के ऋण 2. चार वर्ष से अधिक अवधि के ऋण	9.00% 10.50%
2	प्राकृतिक विपदाओं में हुए कष्टों में राहत देने के लिये कृषको व अकृषको को ऋण	9.00%
3	(क) एक करोड से कम अंशपूंजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड से अधिक अंशपूंजी वाली सहकारी समितियों को ऋण 1. निवेश ऋण (Investment Loans) 2. नगद कमी या कार्य चालन पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (Working Capital Loans and loans to meet cash losses) (अधिकतम 5 वर्ष)	11.50% 11.50% 14.50%
4	शहरी क्षेत्रों में अस्थायी जल कष्ट निवारण (आयोजना एवं आयोजनेतर)	11.50%
5	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	9.00%
6	डाकुओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों /परिवारों को ऋण	9.00%
7	वन अधीक्षकों को बंदूक क्रय करने हेतु ऋण	12.00%
8	राज्य आयोजनागत, केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिए ऋण	10.50%
9	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण)	11.50%
10	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है।
11	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3.00% अधिक

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को आयोजनागत ऋण कंडिका 8 में उल्लेखित दर पर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(**श्री. एल. कान्ता राव**)

संचालक (बजट)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठ. क्रमांक एल-9-3/2005/ब-7/चार,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 26 दिसम्बर, 2005

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक -----मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर.
11. महालेखाकार(लेखा और हकदारी/आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/मध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
15. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी)मंत्रालय भोपाल.
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल.
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश.
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश.
19. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
20. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल.
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों.  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

( श्री. एल. कान्ता राव )

संचालक (बजट)

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग